न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल

प्रकरण सख्याः—33/2024 रेवेन्यु निर्णय दिनांकः—27.05.2024

1 श्री फुलचंद पिता भेमा डामोर उम्र वयस्क निवासी झरनी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

2 श्री छगन पिता भेमा डामोर उम्र वयस्क निवासी झरनी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1 श्री जोवन पिता भेमा डामोर उम्र वयस्क निवासी झरनी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

2 श्रीमती भुरी पत्नि भेमा डामोर उम्र वयस्क निवासी झरनी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

3 श्री भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादीः— कर्तव्य शाह उपस्थित।

::निर्णय::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण गांव झरनी तहसील सीमलवाडा के स्थायी निवासी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं अन्य खातेदार अपने संयुक्त कब्जे काश्त की भुमि पर कृषि कार्य करने अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भुमि ग्राम झरनी में खाता संख्या 244, खसरा नम्बर 729 खेत किता 1 कुल रकबा 0.4937 हैक्टेयर होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झरनी में खाता संख्या 104, खसरा नम्बर 1070/702 खेत किता 1, कुल रकबा 0.3237 हैक्टेयर होकर स्थित है। इसी प्रकार मौजा झरनी मे खाता संख्या 249, खसरा नम्बर 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 701, 721, 722, 723, 726, 727 खेत किता 15 कुल रकबा 2.7116 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिस पर संयुक्त रूप से काबिज है। वादीगण का वास्तविक नाम फुलचंद व छगन होने के बावजुद भी राजस्व रिकॉर्ड मोजा झरनी के खाता संख्या 244 एवं खाता संख्या 104 में वादीगण का नाम कमशः फुलचंद व छगन के स्थान पर कमशः फुन्दा व शना गलत रूप से अंकित कर दिया गया है व खाता संख्या 249 में वादी संख्या 2 का नाम छगन के स्थान पर शना गलत अंकित कर दिया गया है। जबकि वादीगण के समस्त राजकीय दस्तावेजात में उनका वास्तविक सही नाम फुलचंद व छगन है तथा वादीगण फुलचंद व छगन के नाम से ही जाना पहचाना जाता है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया वादीगण का वास्तविक नाम फुलचंद पिता भेमा एवं छगन पिता भेमा डामोर है। वादीगण के राजकीय दस्तावेजों में भी वादीगण का नाम फुलचंद पिता भेमा एवं छगन पिता भेमा दर्ज अंकित है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे में वाद स्वीकार कर डिकी जारी की जावे।

अधिकारी
लवाडा

कमशः पेज 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

विद्वान अभिभाषक की वहस सुनी तथा पत्रावली में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अप्रार्थी संख्या 1 जोवन व 2 श्रीमती भूरी के बयान, हाल जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, अन्य दस्तावेजों, पटवारी की जांच रिपोर्ट एवं अप्रार्थी तहसीलदार के जवाब मय रिपोर्ट का अवलोकन किया। वादीगण का नाम फुलचंद पिता भेमा एवं छगन पिता भेमा होना पाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 01 जोवन व 02 श्रीमती भूरी ने अपने बयान में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य राजीनामा होने से राजीनामे के आधार पर पत्रावली का निरतारण करने हेतु अनापत्ति जाहिर की वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण के कब्जे काश्त की विरासती खातेदारी आराजी में वादीगण का नाम फुला के बजाय फुलचंद व भाना के बजाय छगन रिकॉर्ड में दर्ज कर शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादी, प्रतिवादी एवं अन्य सहखातेदार के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम झरनी में खाता संख्या 244 एवं खाता संख्या 104 में वादीगण का नाम फुला के बजाय फुलचंद एवं भाना के बजाय छगन एवं मौजा झरनी के खाता संख्या 249 में वादी संख्या 2 का नाम भाना के बजाय छगन दर्ज कर शुद्ध किया जाने आदेश किया जाता है। डिकी पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 29.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner